



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02102026-276717
CG-DL-E-02102026-276717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5192]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5192]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5401(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के 113/960 किमी पर लांथ-I और 114/446 किमी पर लांथ-II के नए प्रमुख उँचा पुल का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब -कलेक्टर, टिटलागढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर

सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के 113/960 किमी पर लांथ-I और 114/446 किमी पर लांथ-II के नए प्रमुख उँचा पुल का ईपीसी मोड पर निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: बलांगीर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सैंताला					
गांव का नाम: महंगा					
1	102	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	2.497 (एकर)	1.010522
2	103	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.041 (एकर)	0.0165925
3	104/518	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.047 (एकर)	0.0190206
4	109/519	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.063 (एकर)	0.0254958
5	110	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.021 (एकर)	0.0084986
6	111	निजी	एग्रीकल्चर	0.044 (एकर)	0.0178066
7	112	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.003 (एकर)	0.0012141
8	113	निजी	एग्रीकल्चर	0.0449999 (एकर)	0.0182112
9	114	निजी	एग्रीकल्चर	0.023 (एकर)	0.009308
10	115	निजी	एग्रीकल्चर	0.033 (एकर)	0.0133549
11	116	निजी	एग्रीकल्चर	0.107 (एकर)	0.0433023
12	117	निजी	एग्रीकल्चर	0.214 (एकर)	0.0866046
13	140	निजी	एग्रीकल्चर	0.003 (एकर)	0.0012141
14	141	निजी	एग्रीकल्चर	0.163 (एकर)	0.0659652
15	141/558	निजी	एग्रीकल्चर	0.199 (एकर)	0.0805342
16	142	निजी	एग्रीकल्चर	0.06 (एकर)	0.0242817
17	143	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.057 (एकर)	0.0230676
18	165	निजी	एग्रीकल्चर	0.305 (एकर)	0.1234318
19	166	निजी	एग्रीकल्चर	0.165 (एकर)	0.0667746
20	167	निजी	एग्रीकल्चर	0.35 (एकर)	0.1416431

21	207	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.535 (एकर)	0.2165115
22	208	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.511 (एकर)	0.2067989
23	209	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.118 (एकर)	0.047754
24	303	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.531 (एकर)	0.2148928
25	304	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.07 (एकर)	0.0283286
26	336	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.092 (एकर)	0.0372319
27	337	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.122 (एकर)	0.0493727
28	338	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.14 (एकर)	0.0566572
29	339	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.204 (एकर)	0.0825577
30	339/529	निजी	एग्रीकल्चर	0.166 (एकर)	0.0671793
31	340	निजी	एग्रीकल्चर	0.335 (एकर)	0.1355726
32	341	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.122 (एकर)	0.0493727
33	342	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.118 (एकर)	0.047754
34	343	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.31 (एकर)	0.1254553
35	344	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.3 (एकर)	0.1214083
36	345	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.15 (एकर)	0.0607042
37	346	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.076 (एकर)	0.0307568
38	347	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.248 (एकर)	0.1003642
39	348	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.23 (एकर)	0.0930797
40	349	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.167 (एकर)	0.067584
41	350	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.137 (एकर)	0.4601376
गांव का नाम: वरगांव					
42	158	निजी	एग्रीकल्चर	0.04 (एकर)	0.0161878
43	159	निजी	एग्रीकल्चर	0.05 (एकर)	0.0202347
44	160	निजी	एग्रीकल्चर	0.005 (एकर)	0.0020235
45	192	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.021 (एकर)	0.0084986
46	194	निजी	एग्रीकल्चर	0.07 (एकर)	0.0283286
47	195	निजी	एग्रीकल्चर	0.108 (एकर)	0.043707
48	196	निजी	एग्रीकल्चर	0.03 (एकर)	0.0121408
49	249	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
50	250	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
51	251	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.01 (एकर)	0.0040469
52	302	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
53	304	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.389 (एकर)	0.1574261

54	312	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.002 (एकर)	0.0008094
55	313	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.174 (एकर)	0.0704168
56	314	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.334 (एकर)	0.5398624
57	315	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.165 (एकर)	0.471469
58	316	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	1.229 (एकर)	0.4973695
59	317	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.06 (एकर)	0.0242817
60	319	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.317 (एकर)	0.1282881
61	320	निजी	एग्रीकल्चर	0.55 (एकर)	0.222582
62	340	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.017 (एकर)	0.0068798
63	341	निजी	एग्रीकल्चर	0.012 (एकर)	0.0048563
64	342	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.017 (एकर)	0.0068798
65	344	निजी	एग्रीकल्चर	0.086 (एकर)	0.0348037
66	407	निजी	एग्रीकल्चर	0.02 (एकर)	0.0080939
67	410	निजी	एग्रीकल्चर	0.096 (एकर)	0.0388507
गांव का नाम: सीका पत्रापाली					
68	692	निजी	एग्रीकल्चर	0.202 (एकर)	0.0817483
69	693	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.105 (एकर)	0.0424929
70	694	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.21 (एकर)	0.0849858
71	695	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर	0.134 (एकर)	0.0542291
Total					6.7239984

[फा. सं. NH-12037/146/2025/ODS/EAST (C No. 256629)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5401(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction of new major H.L. Bridge Lanth-I at 113/960 Km and Lanth-II at 114/446 Km of NH-26 in the State of Odisha in EPC mode, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Collector, Titilagarh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures for Construction of new major H.L. Bridge Lanth-I at 113/960 Km and Lanth-II at 114/446 Km of NH-26 in the State of Odisha in EPC mode

State: ODISHA			District: BALANGIR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Saintala					
Village: Mahagaon					
1	102	Government	Non Agriculture	2.497 (Acre)	1.010522
2	103	Government	Non Agriculture	0.041 (Acre)	0.0165925
3	104/518	Government	Non Agriculture	0.047 (Acre)	0.0190206
4	109/519	Government	Non Agriculture	0.063 (Acre)	0.0254958
5	110	Government	Non Agriculture	0.021 (Acre)	0.0084986
6	111	Private	Agriculture	0.044 (Acre)	0.0178066
7	112	Private	Non Agriculture	0.003 (Acre)	0.0012141
8	113	Private	Agriculture	0.0449999 (Acre)	0.0182112
9	114	Private	Agriculture	0.023 (Acre)	0.009308
10	115	Private	Agriculture	0.033 (Acre)	0.0133549
11	116	Private	Agriculture	0.107 (Acre)	0.0433023
12	117	Private	Agriculture	0.214 (Acre)	0.0866046
13	140	Private	Agriculture	0.003 (Acre)	0.0012141
14	141	Private	Agriculture	0.163 (Acre)	0.0659652
15	141/558	Private	Agriculture	0.199 (Acre)	0.0805342
16	142	Private	Agriculture	0.06 (Acre)	0.0242817
17	143	Government	Non Agriculture	0.057 (Acre)	0.0230676
18	165	Private	Agriculture	0.305 (Acre)	0.1234318
19	166	Private	Agriculture	0.165 (Acre)	0.0667746
20	167	Private	Agriculture	0.35 (Acre)	0.1416431
21	207	Government	Non Agriculture	0.535 (Acre)	0.2165115
22	208	Government	Non Agriculture	0.511 (Acre)	0.2067989
23	209	Government	Non Agriculture	0.118 (Acre)	0.047754
24	303	Government	Non Agriculture	0.531 (Acre)	0.2148928
25	304	Government	Non Agriculture	0.07 (Acre)	0.0283286
26	336	Government	Non Agriculture	0.092 (Acre)	0.0372319
27	337	Government	Non Agriculture	0.122 (Acre)	0.0493727
28	338	Government	Non Agriculture	0.14 (Acre)	0.0566572
29	339	Government	Non Agriculture	0.204 (Acre)	0.0825577
30	339/529	Private	Agriculture	0.166 (Acre)	0.0671793
31	340	Private	Agriculture	0.335 (Acre)	0.1355726
32	341	Government	Non Agriculture	0.122 (Acre)	0.0493727
33	342	Government	Non Agriculture	0.118 (Acre)	0.047754
34	343	Government	Non Agriculture	0.31 (Acre)	0.1254553
35	344	Government	Non Agriculture	0.3 (Acre)	0.1214083

36	345	Government	Non Agriculture	0.15 (Acre)	0.0607042
37	346	Government	Non Agriculture	0.076 (Acre)	0.0307568
38	347	Government	Non Agriculture	0.248 (Acre)	0.1003642
39	348	Government	Non Agriculture	0.23 (Acre)	0.0930797
40	349	Government	Non Agriculture	0.167 (Acre)	0.067584
41	350	Government	Non Agriculture	1.137 (Acre)	0.4601376
Village: Bargaon					
42	158	Private	Agriculture	0.04 (Acre)	0.0161878
43	159	Private	Agriculture	0.05 (Acre)	0.0202347
44	160	Private	Agriculture	0.005 (Acre)	0.0020235
45	192	Government	Non Agriculture	0.021 (Acre)	0.0084986
46	194	Private	Agriculture	0.07 (Acre)	0.0283286
47	195	Private	Agriculture	0.108 (Acre)	0.043707
48	196	Private	Agriculture	0.03 (Acre)	0.0121408
49	249	Government	Non Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
50	250	Government	Non Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
51	251	Government	Non Agriculture	0.01 (Acre)	0.0040469
52	302	Government	Non Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
53	304	Government	Non Agriculture	0.389 (Acre)	0.1574261
54	312	Government	Non Agriculture	0.002 (Acre)	0.0008094
55	313	Government	Non Agriculture	0.174 (Acre)	0.0704168
56	314	Government	Non Agriculture	1.334 (Acre)	0.5398624
57	315	Government	Non Agriculture	1.165 (Acre)	0.471469
58	316	Government	Non Agriculture	1.229 (Acre)	0.4973695
59	317	Government	Non Agriculture	0.06 (Acre)	0.0242817
60	319	Government	Non Agriculture	0.317 (Acre)	0.1282881
61	320	Private	Agriculture	0.55 (Acre)	0.222582
62	340	Government	Non Agriculture	0.017 (Acre)	0.0068798
63	341	Private	Agriculture	0.012 (Acre)	0.0048563
64	342	Government	Non Agriculture	0.017 (Acre)	0.0068798
65	344	Private	Agriculture	0.086 (Acre)	0.0348037
66	407	Private	Agriculture	0.02 (Acre)	0.0080939
67	410	Private	Agriculture	0.096 (Acre)	0.0388507
Village: Sika patrapali					
68	692	Private	Agriculture	0.202 (Acre)	0.0817483
69	693	Government	Non Agriculture	0.105 (Acre)	0.0424929
70	694	Government	Non Agriculture	0.21 (Acre)	0.0849858
71	695	Government	Non Agriculture	0.134 (Acre)	0.0542291
Total					6.7239984

[F. No. NH-12037/146/2025/ODS/EAST (C No. 256629)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director